रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1994/वैशाख 10, 1916
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1994/VAISAKHA 10, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1994

सा.का.नि. 206 :—भारत सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्टूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि मैसर्स हंस सिर्विसेज (फार ईस्ट) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कंपनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होगी अर्थात् :—

यदि कंपनी 30-9-92 को वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापार लेखाओं के संबंध में भारत में समुचित कंपनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(i) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (1) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति तथा (2) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है।

(ii) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कंपनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

12

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900/- or equivalent; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

A. Master's degree in Economics/Statistics from a recognised University or equivalent;

OR

B. (i) Master's degree in Sociology/Social Work from a recognised University or equivalent.

(ii) 2 years experience in compilation/analysis of data related to Rural Sanitation Programme.

Transfer on deputation/Re-employment (For Ex-Servicemen):

The Armed Forces Personnel of the rank of Captain/Lieutenant or Regimental commandant and Hony. Captain Lieutenant who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualificatio and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case, such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis; (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts).

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists, shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee: (For considering confirmation of Ex-Servicemen re-employed before Superannuation. 1. Joint Secretary (A)—Chairman 2. Joint Secretary (TM)—Member 3. Director (A)/Deputy Secretary(A)—Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

Foot Note :

Principal Rules published vide G.S.R. No. 384 dated 22-8-92 in the Gazette of India.

[No. A-12018/1/91-Estt-I]
R.C. SAINI, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1994

सा.का.नि. 213.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम 1964 को, जहां तक उनका संबंध पुस्तकालयाध्यक्ष (ज्येष्ठ श्रेणी) और पुस्तकालयाध्यक्ष (कनिष्ठ श्रेणी) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आकाशवाणी के कार्यालयों और केन्द्रों में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (पुस्तकालय और सूचना सहायक) भर्ती नियम 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. प्रकृति, भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि : पदों की प्रकृति, आयु-सीमा, पदों पर भर्ती अर्हताओं, की पद्धति और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता; वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
पुस्तकालय और सूचना सहायक	227* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	28 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के

7
लिए 45 वर्ष तक) की जा सकती है।
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य ; (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री। (3) संबंधित क्षेत्र की भाषा / बोली का ज्ञान टिप्पण 1—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर, स्थानांतरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर, सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता है।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) केन्द्र निदेशक (राजधानी केंद्र)। (2) ज्येष्ठतम कार्यक्रम अधिकारी जो सहायक केन्द्र निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो। (3) ज्येष्ठतम इंजीनियर अधिकारी जो सहायक केन्द्र इंजीनियर से नीचे का न हो।	लागू नहीं होता

[संख्या 7(1)/93-एस VII/बी(ए)/332]

विजय शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th April, 1994

G.S.R. 213.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the posts of Librarian (Senior Grade) and Librarian (Junior Grade) except in respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in Offices and Stations of All India Radio, namely.---

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Library and Information Assistant) Recruitment Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (14) of the Schedule annexed hereto.

3. Nature, method of recruitment, age limit and qualification, etc.—The nature of posts, age limits, qualifications, method of recruitment and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any Class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post
1	2	3	4	5
Library and Information Assistant	227* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Not applicable

Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment	Educational and otehr qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not exceeding 28 years. Relaxable upto 40 years (upto 45 years in respect of SC/ST candidates) in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	ESSENTIAL : (i) Degree of recognised University or equivalent. (ii) A Degree in Library Science from the recognised University. (iii) Knowledge of language/dialect of area concerned. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable.	2 years	Direct Recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holdings analogous posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruitment under Column 8.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Not applicable.	Departmental Promotion Committee for Confirmation : (i) Station Director (Capital Station). (ii) Senior most Programme Officer not below the rank of Assistant Station Director. (iii) Senior most Engineering Officer not below the rank of Assistant Station Engineer.	Not applicable.

[No. 7 1/93-SVII/B(A)/332]

VIJAY SHARMA, Under Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994